संख्या–2033 / 41–11–3 यो0 / 09

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग   लखनऊ दिनांक 20 अक्टूबर, 2011

विषय– केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आगरा में ग्राम बरारा के पर्यटन विकास की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या–874 / 6–1–1(बरारा) / योजना / 2011 दिनांक 14 सितम्बर, 2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

(2)– उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आगरा में ग्राम बरारा के पर्यटन विकास की योजना के लिये अवशेष धनराशि रू0–18.45 लाख (रूपये अट्ठारह लाख पैंतालीस हजार मात्र) को पुनर्विनियोग के द्वारा स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं :–

1– शासनादेश सं0–2958 / 41–2010–3 यो0 / 09 दिनांक–24 नवम्बर, 2010 द्वारा प्रश्नगत योजना हेतु रू0–19.62 लाख तथा शासनादेश सं0–869 / 41–2010–3 यो0 / 09 दिनांक–11 अप्रैल, 2011 द्वारा रू0–8.10 लाख धनराशि स्वीकृत कर अवमुक्त की गयी थी, पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित किया जाय।

2– योजनान्तर्गत अवशेष किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण / व्यय नियमानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।

2– स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यो को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

3– कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

4– यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित / राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5– यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यो हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

6– योजना का अनुश्रवण शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

–2–

(3)– उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–44 के लेखा शीर्षक–5452– पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत– 80–सामान्य– 104–संवर्धन तथा प्रचार–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित–योजनायें–0111–जनपद आगरा में स्थित ग्राम बरारा का रूरल टूरिज्म के अन्तर्गत विकास –24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग करके वहन किया जायेगा।

(4)– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–7–1087/दस–2011 दिनांक– 13 अक्टूबर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
सचिव

संख्या–2033 (1)/41–2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2– सचिव, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई–दिल्ली।
3– मण्डलायुक्त, आगरा/जिलाधिकारी, आगरा।
4– कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
5– निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ।
6– वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय,लखनऊ।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–7/नियोजन अनुभाग–4/वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1
8– सहायक निदेशक, पर्यटन, आगरा।
9– श्री राजा राम, वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब–साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
विशेष सचिव